संख्या-72/2025/423(2)/सैंतीस-2-2025/002-1(35)/2014टीसी1

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार),
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 मार्च, 2025

विषयः- **आर.आई.डी.एफ.-30 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित 57 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-411/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-30/24-25, दिनांक-05.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आर.आई.डी.एफ.-30 में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित 57 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-3365.44 लाख (रूपये तैंतीस करोड़ पैंसठ लाख चौवालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	पशुचिकित्सालय का नाम	स्वीकृत धनराशि लाख में
1	अमेठी	तिलोई	59.244
2	औरैया	सहार	59.244
3	अयोध्या	मया बाजार	59.244
4	अयोध्या	रूदौली	59.244
5	बलिया	बांसडीह रोड	59.244
6	बलिया	सिकन्दरपुर	59.244
7	बलरामपुर	उतरौला	59.244
8	बाराबंकी	पूरे डलई	59.244
9	बाराबंकी	सिद्धौर	59.244
10	बरेली	फतेहगंज पूर्वी	59.244
11	बहराइच	खैरा बाजार	59.000
12	बहराइच	तेजवापुर	59.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	बुलन्दशहर	औरंगापुर मीरपुर	59.000
14	बुलन्दशहर	गुलावटी	59.000
15	बुलन्दशहर	लखावटी	59.000
16	बुलन्दशहर	मोहरसा	59.000
17	बुलन्दशहर	मुरसाना	59.000
18	इटावा	बकेवर	59.000
19	इटावा	धनुवा खेड़ा	59.000
20	फतेहपुर	अमौली	59.000
21	फर्रूखाबाद	बड़पुर	59.000
22	फर्रूखाबाद	फैजबाग	59.000
23	फर्रूखाबाद	फतेहगढ़	59.000
24	गौतमबुद्धनगर	दादरी	59.000
25	गौतमबुद्धनगर	खेड़ी भनौता	59.000
26	गौतमबुद्धनगर	मायचा	59.000
27	गाजीपुर	मरदह	59.000
28	गाजीपुर	मिर्जापुर	59.000
29	गाजीपुर	मोहम्मदाबाद	59.000
30	गाजीपुर	परसनी	59.000
31	हमीरपुर	सदर	59.000
32	हरदोई	सवायजपुर	59.000
33	हरदोई	सुरसा	59.000
34	जौनपुर	धर्मापुर	59.000
35	जौनपुर	महराजगंज	59.000
36	जौनपुर	शाहगंज	59.000
37	कन्नौज	छिबरामऊ	59.000
38	कन्नौज	जलालाबाद	59.000
39	कौशाम्बी	नेवादा	59.000
40	कौशाम्बी	सिराथू	59.000
41	कुशीनगर	फरेन्दा	59.000
42	कुशीनगर	खड्डा	59.000
43	कुशीनगर	नेबुंआ नौरंगिया	59.000
44	मेरठ	दौराला	59.000
45	मेरठ	परतापुर	59.000
46	मुरादाबाद	मूंढापाण्डे	59.000
47	मुजफ्फरनगर	बुढाना	59.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

48	प्रयागराज	मेजाखास	59.000
49	रायबरेली	सोहवल	59.000
50	रामपुर	पनवड़िया	59.000
51	रामपुर	पटवई	59.000
52	संतकबीरनगर	मेंहदावल	59.000
53	शामली	कण्डेला	59.000
54	सुल्तानपुर	हलियापुर	59.000
55	सुल्तानपुर	जयसिंहपुर	59.000
56	सुल्तानपुर	करौन्दीकला	59.000
57	उन्नाव	औरास	59.000
योग-			**3365.440**

(रूपये तैंतीस करोड़ पैंसठ लाख चौवालिस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत संस्थाओं के निर्माण हेतु निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले छः माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(13) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अधीन जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 33,65,44,000 (रुपये तैंतीस करोड़ पैंसठ लाख चौवालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403001010800 पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-1-649-X-2024-25, दिनाँक-29.03.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

पृ0सं0-72/2025/423(3)/सैंतीस-2-2025/002-1(35)/2014टीसी1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कार्यदायी संस्था।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।